गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल की बटालियनों को भिन्न-भिन्न संख्या में समय-समय पर असम, केरल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा राज्यों और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ आदि में तैनात किया गया है, ऐसा इन राज्यों की आवश्यकता और इनमें व्याप्त आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए किया गया।

(ख) जी हां, श्रीमान। केवल छूट प्राप्त राज्यों मे तैनाती के अलावा, जिनमे तैनाती की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ग) से (ङ) चूंकि बकाया देय राशि के आंकड़े घटते बढ़ते रहते है इसलिये कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993–94 के दौरान 17.81 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान, छूट प्राप्त राज्यों की ओर से किया है। गैर-छूट प्राप्त राज्यों की ओर से किया है। गैर-छूट प्राप्त राज्यो के मामले में 24.13 करोड रु० की राशी की कटौती उनकी योजनागत सहायता मे से, किश्तों में करने का निर्णय लिया गया था। इसमें से 17.559 करोड़ रू० की राशि की कटौती पहले ही कर ली गई है और यह राशि 1992–93 और 1993–94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को दे दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित विधेयक

4696. **श्री जगन्नाथ सिंह**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षणात्मक उपायों के लिये एक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो "मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र विनियम" पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) और (ख) "मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तान्तरण) विनियम, 1954" के निरसन के लिये मध्य प्रदेश की सरकार ने "मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तान्तरण) निरसन विनियम, 1984" को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिये भेजा था। इस निरसन विनियम द्वारा 1954 के जिस मौजूदा विनियम को निरसित किया जाना है, वह जनजातियों की रक्षा, भूमि के अन्य संक्रामण से करता है। राज्य सरकार का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया कि कई मामलों में जनजाति भूमि को गैर जनजातियों के पक्ष में अन्य संक्रमित किया गया। चूंकि यह समझा गया था कि इस विनियम के निरसन के परिणामस्वरूप अन्य संक्रामणों का विनियमन ही होगा, अतः राज्य सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को अपने अन्तिम निर्णय से अवगत नही कराया है।

दिल्ली, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बलात्कार/दहेज सम्बन्धी मौतें

4697. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :**
श्री ओ० पी० कोहली :
श्री वीरेन्द्र कटारिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में वर्ष 1990, 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक बलात्कार/दहेज सम्बन्धी मौतों तथा पत्नियो

और गृहणियों की हत्या सम्बन्धी अलग-अलग कितने मामलों के समाचार प्राप्त हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने मामलों को हल कर लिया गया है तथा कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं; और

(घ) दिल्ली, महाराष्ट्र, और गुजरात में ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) वर्ष 1990 से 1993 के दौरान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तथा गुजरात में बलात्कार तथा दहेज के कारण हुई मौतों (महिलाओं तथा गृहणियों की हत्याओं सहित) को सूचित की गई घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण (विवरण–I) संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

विवरण–I

वर्ष 1990 से 1993 के दौरान बलात्कार और दहेज के कारण हुई मौत की घटनाओं की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990		1991		1992		1993	
	ब	द	ब	द	ब	द	ब	द
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दिल्ली	150	102	161	133	215	121	255	107
महाराष्ट्र	859	858	885	823	961	727	1107	746
गुजरात	232	125	253	103	285	123	203	63

ब–बलात्कार के मामले

द–दहेज मृत्यु

ये आंकडे अनन्तिम हैं।

(ख) और (ग) इन राज्यों में, वर्ष 1990 से 1992 के दौरान बलात्कार करने के कारण गिरफ्तार किये व्यक्तियों की संख्या तथा पुलिस द्वारा निपटाये गये बलात्कार के मामलों की संख्या के आंकड़े क्रमश: विवरण–II तथा III पर दिये गये हैं **(नीचे देखिए)** : दहेज के कारण हुई मौतों के लिये ऐसी घटनाओं को केन्द्रीय रूप से संकलित करना, इसी वर्ष शुरू किया गया है।

विवरण–II

वर्ष 1990 से 1992 के दौरान बलात्कार के मामलों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति :

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990	1991	1992
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दिल्ली	309	317	290
2.	महाराष्ट्र	1289	1306	1513
3.	गुजरात	326	427	508

स्रोत : आंकड़े क्राईम इन इंडिया मे हैं।

विवरण–III

वर्ष 1990 से 1992 के दौरान पुलिस द्वारा निपटाए गए बलात्कार के मामले

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र		मद	1990	1991	1992
1.	दिल्ली	1.	जांच पड़ताल के लिए कुल मामलों की संख्या	225	276	334
		1.1.	सुलझा लिए गए	163	218	196
		1.2.	लम्बित	62	58	138
2.	महाराष्ट्र	2.	जांच पड़ताल के लिए कुल मामलों की संख्या	1082	1134	1237
		2.1.	सुलझा लिए गए	852	888	967
		2.2.	लम्बित	230	246	270
3.	गुजरात	3.	जांच पड़ताल के लिए कुल मामलों की संख्या	258	345	394
		3.1.	सुलझा लिए गए	222	297	315
		3.2.	लम्बित	36	48	79

स्रोत · आंकड़े "क्राईम इन इंडिया" से।

(घ) चूंकि "पुलिस तथा लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं इसलिये महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों सहित, अपराधों को दर्ज करना, छानबीन करना, पता लगाना और अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, ऐसे अपराधों को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा कई उपाय शुरू किये गये हैं। दहेज निषेध अधिनियम (1961) को और अधिक कठोर बनाने के लिये 1984 तथा 1986 में संशोधित किया गया था। न केवल दहेज मौतों के मामलों बल्कि विवाहित महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों से भी प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिये भारतीय दण्ड संहिता दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) में संशोधन किया गया है। महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों से संबंधित कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर निर्देश/दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। इसके अलावा, महिलाओं को सकारात्मक रूप में पेश करने के लिये मीडीया का प्रयोग भी किया जा रहा है। जनता को जागरूक करने के लिये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिये किये जा रहे अन्य प्रयासों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डी० डब्ल्यू० ए० सी० आर० ए०) तथा महिला साक्षरता कार्यक्रम जैसे कुछ कार्यक्रम हैं।

Activities of Militants in Indo-Nepal Border

4698. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indo-Nepalese border has become a haven for Kashmiri militants;

(b) if so, the total number of militants who infiltrated into India and were apprehended;

(c) whether it is a fact that Government have approached the Government of Nepal if so, what is their response; and

(d) what steps Government propose to take to tackle the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) Government are aware that Indo-Nepal border is exploited by the Kashmiri militants.

(b) 10 persons have been arrested during the period from June 1993 to February 1994.

(c) Yes, Sir. The Government of Nepal has cooperated in preventing illegal activities by Indian militants from their territory.

(d) We have sensitised the Government of Nepal on this issue. Attempts have been made for better cooperation and exchange of information with the Government of Nepal.

List of citizens, in Assam

4699. SHRI BHADRESWAR GOHAIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what is the progress made so far in preparing the list of citizens upto 1966 in Assam in accordance with the Assam Accord;

(b) whether the list has been completed uptil now; and

(c) if not, by when it will be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) : (a) to (c) In terms of a provision of Assam Accord all persons who came to Assam prior to 1-1-1966 including those amongst them whose names appeared in the electoral rolls used in 1967 elections were to be regularised as Indian Citizens. The Accord also provides for detection of foreigners who came